

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज.)

-:कार्यालय आदेश:-

क्रमांक 05

दिनांक : 18.01.24

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/2022/59 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

S.No.	Name of candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Selected Category
1.	MANISH VYAS	20/10/1997	43	44247	Male	EWS	GEN
2.	DEVI SINGH	26/11/1997	47	25131	Male	EWS	GEN
3.	SHRUTI PUROHIT	07/11/2003	54	40335	Female	EWS	GEN
4.	ABHISHEK PUROHIT	12/08/1997	63	20963	Male	EWS	GEN
5.	RAJAT SHARMA	22/06/1996	99	36395	Male	OBC	GEN
6.	NITISHA GAHLOT	16/01/1995	203	44297	Female	OBC	OBC
7.	RASHMI (ENGLISH STENO)	12/02/1993	12	15131	Female	GEN	GEN

- सभी नियुक्तियों आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

लगातार.....

5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

— sdr

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

क्रमांक : स्था./2024/ 141

दिनांक : 18.01.24

प्रति :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांक G/I/A-4(i) (a)151/2022/59 दिनांक 16.01.2024 की पालना में।
2. केन्द्रीकृत लेखा शाखा, न्यायालय हाजा।
3. श्री मनीष व्यास पुत्र श्री बसन्त कुमार व्यास, निवासी- किकानी व्यासों का चौक, बीकानेर। 334001
4. श्री देवी सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, निवासी - बडोडा गांव, जैसलमेर। 345001
5. सुश्री श्रुति पुरोहित पुत्री श्री राज नारायण पुरोहित, निवासी- लालानी व्यासों का चौक, बीकानेर। 334001
6. श्री अभिषेक पुरोहित पुत्र श्री योगेश कुमार पुरोहित, निवासी- पोस्ट ऑफिस वाली गली, मुंघडों का चौक, बीकानेर। 334001
7. श्री रजत शर्मा पुत्र श्री प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी- उस्ता बारी के अन्दर, महालक्ष्मी मंदिर के पास, बीकानेर। 334001
8. श्रीमती नीतिशा गहलोत पुत्री श्री विजय गहलोत, निवासी- H.No. 245 ए, भरत नगर, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर। 335001
9. सुश्री रशमी पुत्री श्री मदन लाल 11/8160/1, गली नंबर 2, बेगू रोड़, परमार्थ कॉलोनी, सिरसा, राज्य- हरियाणा। 125055
10. संबंधित कर्मचारी निजी पत्रावली।
11. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।